कार्यालय उप निदेशक फायर सर्विस बरेली परिक्षेत्र बरेली।

पत्र संख्या: 2016/26400/संभ/संभल/367/डी0डी0/1877 दिनांक:दिसम्बर 19 2016

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
जनपद संभल।

विषयः गाटा संख्या:347, 348 एवं 349 ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जनपद संभल पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः आपका पत्रांक:2123/2/रीडर-अ0प्र0पत्र/2016-17 दिनांक:31.12.2016

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने संदर्भित पत्र का अवलोकन करने कष्ट करें, जिसके द्वारा गाटा संख्या:347, 348 एवं 349 ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जनपद संभल पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण/परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद संभल श्री मुनेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा किया गया तो उनकी निरीक्षण संस्तुति आख्या **दिनांक:16.12.2016** के अनुसार प्रस्तावित स्थल **45.72** मीटर चौड़े बदायूँ-बवराला मार्ग पर स्थित है, जहाँ फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ-जा सकते है। प्रश्नगत स्थल मानचित्रों के अनुरूप है। प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाई/लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजर रही है। प्रस्तावित स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिकोण से उपयुक्त है। प्रस्तावित स्थल के मानचित्र पैट्रोलियम रूल्स-2002 के अनुरूप पाये गये।

अतः **गाटा संख्या:347, 348 एवं 349 ग्राम गुन्नौर अब्दुल हई तहसील गुन्नौर जनपद संभल पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किया जाता हैः-

1- प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु सभी निर्माण कार्य पैट्रोलियम रूल्स-1934 एवं सम्बन्धित पैट्रोलियम रूल्स तथा रिटेल आउटलेट बिषयक समय-समय पर यथा संशोधित विधियों एवं तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुरूप किये जायेगे।

2- प्रस्तावित स्थल के उपर से कोई हाइटेंशन या लोटेंशन विद्युत लाइन नही गुजारी जायेगी।

3- प्रस्तावित स्थल पर मानचित्रों में दर्शाये गये पैट्रोलियम पदार्थो के अतिरिक्त अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जायेगा।

4- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के निर्माण के उपरान्त प्रश्नगत स्थल पर किसी भी प्रकार के पदार्थों या स्थितियों आदि जो चिंगारी/आग उत्पन्न करते हो का प्रयोग वर्जित होगा तथा इसके सम्बन्ध में समुचित उपाय सुनिश्चित

क्रमशः............02

अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०

08-01-2018
एस. के सिन्हा
S. K. Sinha

किये जायेगें।

5– प्रस्तावित स्थल पर धुम्रपान निषेध वोर्ड एवं आग से सावधानी के संसूचक तथा आपातकालीन सेवाओं के टेलीफोन नं0 की सूची लगाया/दर्शाया जाना अनिवार्य होगा।

6– प्रस्तावित स्थल पर समुचित अग्निशमन व्यवस्था ओ.आई.एस.डी. स्टेण्डर्ड, पैट्रोलियम रूल्स एवं तत्समय प्रवृत अन्य किसी उल्लेखित विधि के अनुरूप की जायेगी।

प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट का उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप निर्माण कराये जाने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से उपरोक्त के सम्बन्ध में निरीक्षण/परीक्षण कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा जिसके उपरान्त ही रिटेल आउटलेट के संचालन हेतु अग्निशमन सुरक्षाओं का निर्देश निर्गत किये जायेगें जिन्हे पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र

कुल 01 वर्क

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद संभल।

2– हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ।

(अजय कुमार गुप्ता)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
बरेली/मुरादाबाद परिक्षेत्र

अमरेश कुमार
एरिया सेल्स मैनेजर
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०
मुरादाबाद विक्रय क्षेत्र

08-01-2018

एस. के. सिन्हा
S. K. Sinha
विधिवत गठित न्यायवादी
Duly Constituted Attoney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय–मेरठ
Meerut Retail Regional Officer - Meerut